

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

-:: कार्यालय आदेश ::-

का०आ०सं० :- मं०मं०-02/स्था०-1017/2013 (खण्ड) ..... दिनांक ..... 2016

बिहार वित्तीय नियमावली भाग (1) के नियम 109, 110 एवं 111 तथा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त मामलों में विपन्न पारित करने तथा प्रत्येक अवसर पर रु० 25,000/- (पचीस हजार रुपये) मात्र तक क्रय एवं भुगतान की स्वीकृति एवं संविदा पर नियुक्त कर्मियों को पूर्व से नियत राशि का भुगतान करने संबंधी वित्तीय शक्तियाँ (नयाचार से संबंधित वित्तीय कार्य छोड़कर) श्री राम विलास पासवान, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित की जाती है।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-मं०मं०-02/स्था०-1017/2013 (खण्ड) ..... पटना-15, दिनांक ..... 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-मं०मं०-02/स्था०-1017/2013 (खण्ड) ..... 592 ..... पटना-15, दिनांक 27/04/2016

प्रतिलिपि :- श्री राम विलास पासवान, अपर सचिव/सभी पदाधिकारी/सभी सहायकगण/लेखा शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव